संख्या- 22/2026/49-3099/83/2024
I/1270309/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग- 3 लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में '' सहकार से समृद्धि योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 116.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-I/494548/2026/लेखा-अ/2025-26,दिनांक 06 मार्च, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 '' सहकार से समृद्धि योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि + अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त कुल धनराशि रूपये 300.00 लाख (रूपये तीन करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 116.33 लाख (रूपये एक करोड़ सोलह लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय- व्ययक में अनुदान संख्या- 18 के अधीन राजस्व मद में मुख्य लेखाशीर्ष ''2425-सहकारिता, 108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 07-सहकार से समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से विकास मॉडल विकसित करने हेतु सहकारी समितियों का डेटा बेस को तैयार किया जाना, 20-सहायता-अनुदान सामान्य (गैर वेतन)'' में अनुपूरक धनराशि सहित कुल प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-I/ 1138763/2025, दिनांक 11.11.2025 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि रूपये 66.67 लाख (रूपये छाछठ लाख सरसठ हजार मात्र) एवं शासनादेश संख्या- I/ 1221368/2026, दिनांक 30.01.2026 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि रूपये 117.00 लाख के निर्गतोपरांत अवशेष धनराशि रूपये 116.33 लाख के सापेक्ष रूपये 116.33 लाख (रूपये एक करोड़ सोलह लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों / नियमों / प्रतिबंधों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों-</u>

(1) आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता विभाग, उ०प्र० का होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष राजकोष से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा,
जितनी धनराशि वास्तविक रूप से आवश्यक हो।

(3) प्राविधानित धनराशि का व्यय उसी मद में किया जाय, जिसके लिए बजट प्राविधान किया गया है।

(4) प्राविधानित धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस प्रकार किया जायेगा कि धनराशि का व्यावर्तन अन्य योजना/कार्यक्रम में न हो।

(5) प्राविधानित धनराशि का व्यय किये जाने में इसकी द्विरावृत्ति/ पुनरावृत्ति न हो।

(6) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयकगाइडलाइन/दिशा-निर्देश तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निदशा का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 व सहकारिता अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1/1126332/2025, दिनांक 29-10-2025 एवं अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रूपये 116.33 लाख (रूपये एक करोड़ सोलह लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 018 2425-सहकारिता, 108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 07-सहकार से समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रदेश में सहकारिता के माध्य से विकास मॉडल विकसित करने हेतु सहकारी समितियों का डेटा बेस को तैयार किया जाना, 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-2-199-X-2025-26-दिनांक: 16-3-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4) अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(शिक्षा/बैंकिंग), सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0, लखनऊ।
6) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
7) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10) गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।